इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 मई 2012—वैशाख 15, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. बी-4-01-2012-2-पांच (23).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्राम सिमरोल, तहसील महू, जिला इन्दौर में स्थित कृषकों की 16.315 हेक्टेयर भूमि को, जिला इन्दौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) की स्थापना हेतु 16.153 हेक्टेयर शासकीय भूमि से अदला बदली करने से संबंधित विनिमय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. बी-4-01-2012-2-पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संशोधित आदेश क्र. एफ बी-4-01-2012-2-पांच (23), दिनांक 5 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 5th May 2012

No. F-B-4-01-2012-2-V(23).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby, remits the stamp duty chargeable on the instruments of exchange relating to exchange of 16.315 hectares farmer's land situated in village Simrol, Tehsil Mhow, District Indore with 16.153 hectares Government land for establishing Indian Institute of Technology in District Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. बी-4-01-2012-2-पांच (24).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्राम सिमरोल, तहसील महू, जिला इन्दौर में स्थित कृषकों की 16.315 हेक्टेयर भूमि को, जिला इन्दौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) की स्थापना हेतु 16.153 हेक्टेयर शासकीय भूमि से अदला बदली करने से संबंधित विनिमय की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. बी-4-01-2012-2-पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संशोधित आदेश क्र. एफ बी-4-01-2012-2-पांच (24), दिनांक 5 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 5th May 2012

No. F-B-4-01-2012-2-V(24).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government hereby, remits the registration fees chargeable on the instruments of exchange relating to exchange of 16.315 hectares farmer's land situated in village Simrol, Tehsil Mhow, District Indore with 16.153 hectares Government land for establishing Indian Institute of Technology in District Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.